अध्याय-1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के अधीन 53 विभाग, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 37 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में वर्णित है। इस प्रतिवेदन में राज्य के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को शामिल किया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की अपेक्षा है कि रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान होगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2, 3 और 4 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं तथा अध्याय 5 में सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा उनके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे ***तालिका 1.1*** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2016-21 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	21,663	21,631	24,379	26,699	29,788	28,169	35,358	31,884	37,228	34,734
सामाजिक सेवाएं	29,403	25,473	31,404	28,061	34,176	29,743	36,114	33,726	43,090	36,164
आर्थिक सेवाएं	23,482	20,875	23,752	18,107	20,916	19,022	22,770	19,238	25,020	19,048
सहायता अनुदान एवं अंशदान	248	424	401	390	306	222	0	0	0	0
कुल (1)	**74,796**	**68,403**	**79,936**	**73,257**	**85,186**	**77,156**	**94,242**	**84,848**	**1,05,338**	**89,946**
पूंजीगत परिव्यय	8,817	6,863	11,122	13,538	15,780	15,306	16,260	17,666	13,201	5,870
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4,729	4,515	1,326	1,395	1,766	756	1,407	1,309	1,213	926
लोक ऋण का भुगतान	9,677	5,276	9,945	6,339	12,466	17,184	20,257	15,776	22,592	29,498
आकस्मिक निधि	-	80	-	27	-	13	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
अंतिम नकद शेष	96,756	29,276	2,04,107	31,171	2,32,569	37,386	1,41,707	42,171	51,356	50,245
कुल (2)	-	5,658	-	4,417	-	2,985	-	3,999	-	3,148
कुल योग (1+2)	**1,19,979**	**51,668**	**2,26,500**	**56,887**	**2,62,581**	**73,630**	**1,79,631**	**80,921**	**88,362**	**90,487**
पूंजीगत परिव्यय	**1,94,775**	**1,20,071**	**3,06,436**	**1,30,144**	**3,47,767**	**1,50,786**	**2,73,873**	**1,65,769**	**1,93,700**	**1,80,433**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2020-21 के दौरान ₹ 1,93,700 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,80,433 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] 21 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,781 करोड़ से ₹ 96,742 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 31 प्रतिशत बढ़कर ₹ 68,403 करोड़ से ₹ 89,946 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का भाग 82 से 93 प्रतिशत के मध्य था जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत के मध्य था।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 15.48 प्रतिशत से घटकर 6.01 प्रतिशत हो गई, जबकि राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 में 10.39 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई और 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत पर ऋणात्मक हो गई।

1.4 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिमों के आकलन से शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों का महत्व/जटिलता, प्राप्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष/प्रबंधन को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। उत्तर के आधार पर या तो लेखापरीक्षा परिणामों का समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में 2020-21 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत 53 विभागों की 235 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19(1), धारा 19(2) के अंतर्गत 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 18 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत 12 स्वायत्त निकायों की 24 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक

---

[1] राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें देना था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 20[2] अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। 17 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के लिए प्रशासनिक विभागों से उत्तर प्राप्त हुए हैं जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा उनके अगले उच्च प्राधिकारियों/प्रबंधनों को प्रतियां भेजी जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को शीघ्रता से दूर करने और चार सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

30 सितंबर 2021 तक राज्य में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के विरुद्ध 9,205 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 25,652 अनुच्छेद लंबित थे, जैसा कि नीचे ***तालिका 1.2*** में वर्णित है:

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
2015-16 से पहले	6,211	14,058	67,484.55
2016-17	649	2,109	45,781.86
2017-18	732	2,345	2,92,281.90
2018-19	728	2,683	5,83,276.69
2019-20	584	2,609	1,22,073.63
2020-21	301	1,848	20,163.54
कुल	**9,205**	**25,652**	**11,31,062.17**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।

सितंबर 2021 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिए गए हैं।

---

[2] तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति (कोपू) में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)/लोक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जांच हेतु लिए गए हैं या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अंदर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थीं।

वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर वर्ष 2021-22 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई है। वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 15 अनुच्छेद शामिल थे और वर्ष 2019-20 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें 19 अनुच्छेद शामिल थे, को क्रमशः 5 मार्च 2021 और 22 दिसंबर 2021 को राज्य विधान सभा के समक्ष किया गया था ***(परिशिष्ट 1.3)*** और लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति (कोपू) में अभी चर्चा की जानी शेष थी (मार्च 2022)। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अनुच्छेदों की स्थिति ***तालिका 1.3*** में दी गई है।

तालिका 1.3: 31 मार्च 2022 तक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लोक लेखा समिति/कोपू में चर्चा किए जाने वाले अनुच्छेदों/कृत कार्रवाई टिप्पणियों का विवरण

क्र. सं.	क्लस्टर	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 2018-2019		अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20	
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/ अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुच्छेदों की संख्या जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं थीं	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/ अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ अनुच्छेदों की संख्या जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं थीं
1	ऊर्जा और विद्युत	08	01	03	03
2	उद्योग और वाणिज्य	03	03	02	02
3	शहरी विकास	शून्य	शून्य	03	03
4	स्वास्थ्य एवं कल्याण	शून्य	शून्य	01	01
5	शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार	शून्य	शून्य	02	02
6	वित्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	ग्रामीण विकास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	02	शून्य	06	06
9	जल संसाधन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	परिवहन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	लोक निर्माण कार्य	02	01	02	02
13	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	कानून व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	संस्कृति और पर्यटन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	सामान्य प्रशासन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई वसूली के लिए की गई कार्रवाई

24 प्रशासनिक विभागों में ₹ 28,570.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के वर्ष 2000-01 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 45 अनुच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के थे, जहां कार्रवाई नहीं की गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.4*** में वर्णित है।

1.7.3 लोक उपक्रम समिति (कोपू) तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति (कोपू) की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी। वर्ष 1979-80 से 2021-22 तक की अवधि हेतु लोक लेखा समिति की 16वीं से 82वीं रिपोर्ट में निहित 673 सिफारिशों और वर्ष 1983-84 से 2021-22 के लिए कोपू की 16वीं से 68वीं रिपोर्ट में निहित 232 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक प्रतीक्षित थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.5*** में विवरण दिए गए हैं। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लोक लेखा समिति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की लंबित सिफारिशों का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: 31 मार्च 2022 तक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के संबंध में लोक लेखा समिति /कोपू की लंबित सिफारिशों का विवरण

क्र. सं.	कोपू की सिफारिशों की संख्या	कोपू की रिपोर्ट	लोक लेखा समिति की सिफारिशों की संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट
1	**ऊर्जा और विद्युत**			
	47	35वीं, 52वीं, 53वीं, 57वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं	2	35वीं, 74वीं
2	**उद्योग और वाणिज्य**			
	51	41वीं, 45वीं, 48वीं, 49वीं, 50वीं, 52वीं, 56वीं, 57वीं, 58वीं, 60वीं, 62वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं	15	9वीं, 16वीं, 22वीं, 32वीं, 36वीं, 50वीं, 68वीं, 70वीं, 73वीं, 79वीं, 81वीं
3	**शहरी विकास**			
	15	47वीं, 67वीं	119	25वीं, 32वीं, 36वीं, 40वीं, 44वीं, 48वीं, 50वीं, 52वीं, 54वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
4	**स्वास्थ्य एवं कल्याण**			
	9	60वीं, 63वीं, 64वीं	99	38वीं, 44वीं, 50वीं, 52वीं, 56वीं, 58वीं, 60वीं, 62वीं, 65वीं, 68वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 77वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
5	**शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार**			
	-	-	77	34वीं 48वीं, 52वीं, 54वीं, 56वीं, 58वीं, 62वीं, 66वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 77वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं, 80वीं, 77वीं, 81वीं, 82वीं

क्र. सं.	कोपू की सिफारिशों की संख्या	कोपू की रिपोर्ट	लोक लेखा समिति की सिफारिशों की संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट
6	**वित्त**			
	-	-	14	36वीं, 40वीं, 50वीं, 56वीं, 58वीं, 62वीं, 63वीं, 65वीं, 67वीं, 74वीं, 80वीं, 81वीं
7	**ग्रामीण विकास**			
	-	-	22	44वीं, 50वीं, 61वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं, 70वीं, 73वीं, 81वीं, 82वीं
8	**कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग**			
	84	16वीं, 23वीं, 98वीं, 48वीं, 49वीं, 50वीं, 52वीं, 53वीं, 55वीं, 56वीं, 57वीं, 58वीं, 59वीं, 60वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं	86	23वीं, 34वीं, 36वीं, 40वीं, 42वीं, 52वीं, 54वीं, 56वीं, 58वीं, 60वीं, 62वीं, 63वीं, 65वीं, 67वीं, 68वीं, 71वीं, 72वीं, 75वीं, 77वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
9	**जल संसाधन**			
	3	42वीं, 51वीं	34	22वीं, 46वीं, 50वीं, 58वीं, 60वीं, 67वीं, 68वीं, 71वीं, 72वीं, 73वीं, 75वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
10	**परिवहन**			
	-	-	9	50वीं, 74वीं, 75वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
11	**पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**			
	2	58वीं, 66वीं	37	56वीं, 58वीं, 60वीं, 63वीं, 67वीं, 68वीं, 72वीं, 74वीं, 77वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं
12	**लोक निर्माण**			
	15	55वीं, 57वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 64वीं, 68वीं	54	38वीं, 40वीं, 50वीं, 52वीं, 54वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 68वीं, 64वीं, 71वीं, 72वीं, 73वीं, 75वीं, 77वीं, 79वीं, 80वीं, 82वीं
13	**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार**			
	1	67वीं	-	-
14	**कानून व्यवस्था**			
	2	60वीं, 68वीं	20	50वीं, 56वीं, 63वीं, 67वीं, 68वीं, 70वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 77वीं, 79वीं, 80वीं, 82वीं
15	**संस्कृति और पर्यटन**			
	3	59वीं, 62वीं	3	60वीं, 77वीं, 80वीं
16	**सामान्य प्रशासन**			
	-	-	82	26वीं, 34वीं, 44वीं, 52वीं, 54वीं, 56वीं, 58वीं, 60वीं, 61वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 68वीं, 70वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 80वीं, 82वीं
	232		**673**	